Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 178-2025/Ext.] चण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक 24 अक्तूबर, 2025
(2 कार्तिक, 1947 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग–II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग–III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या का०आ० 82/के०अ० 9/1894/धा० 59/2025, दिनांक 24 अक्तूबर, 2025– हरियाणा कारागार (संशोधन) नियम, 2025	3125—3126
भाग–IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग–III

हरियाणा सरकार

जेल विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 अक्तूबर, 2025

संख्या का०आ० 82/के०अ० 9/1894/धा० 59/2025.– कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम 9) की धारा 59 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा कारागार नियम, 2022 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम हरियाणा कारागार (संशोधन) नियम, 2025 कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा कारागार नियम, 2022 में नियम 2 में, उप–नियम (1) में, खण्ड (xl) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

'(xl) "अभ्यस्त अपराधी" से अभिप्राय है, कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे पांच वर्ष की किसी निरन्तर अवधि के दौरान, अलग–अलग अवसरों पर किए गए किसी एक या एक से अधिक अपराधों के लिए दो बार से अधिक अवसरों पर दोषसिद्ध ठहराया गया है और कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है और उसी कार्यवाही का भाग नहीं हो, ऐसा दण्डादेश को अपील या पुनरीक्षण में उल्टा नहीं किया गया है:

परन्तु उपरोक्त निर्दिष्ट पांच वर्ष की निरन्तर अवधि की गणना करते समय, कारागार चाहे कारावास के दण्डाधीन या निरोधाधीन में बिताई गई किसी भी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा;'।

डॉ सुमिता मिश्रा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार.
जेल विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT

JAIL DEPARTMENT

Notification

The 24th October, 2025

No. S.O. 82/C.A.9/1894/S.59/2025.— In exercise of the powers conferred under section 59 of the Prisons Act, 1894 (Central Act 9 of 1894) the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Prison Rule, 2022, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Prison (Amendment) Rules, 2025.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Haryana Prison Rules, 2022, in rule 2, in sub-rule (1), for clause (xl), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(xl) **"Habitual offender"** means a person who during any continuous period of five years, has been convicted and sentenced to imprisonment on more than two occasions on account of any one or more of the offences committed on different occasions and not constituting parts of same transaction, such sentence not having been reversed in appeal or review:

Provided that in computing the continuous period of five years referred to above, any period spent in jail either under sentence of imprisonment or under detention shall not be taken into account;’.

DR. SUMITA MISRA,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Jail Department.

12180—L.R.—H.G.P., Pkl.